# वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तहसील का नाम **कंपकोट**, जिला **बागेश्वर** 

#### अनापित प्रमाण पत्र

उत्तरखण्ड में जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.450 हे0 सिविल मूमि वन पंचायत भूमि 2.925 हे0) अर्थात कुल 3.375 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग कपकोट के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मञ्जलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि विषय में ग्राम पंचायत कि हारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं। के विषय के विश्व कार्य नहीं। के विश्व कार्य नहीं। के विश्व कार्य नहीं। के विश्व कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

E0/-

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान प्रमान

ग्राम पंचायत चलकाना

नोट:— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तह्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गुठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

> दिनांक 18. 12. 12. को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत. क्लिंग्स्यान (क्रास्थान)

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हरताक्षर
U	की-रतन विस्थान	dager is
21	" अभर रेस्ट गाउधा	24/ aug
3)	" जार निरं संवद	ANTE TO
5)	" डेश्वर खिटेमहेला	5245,166
3)	" उत्पाम किंह गांडिया	उत्तम विदि
6)	11 (3-9 7 12) 21/5/11	かられるない
(2)	11 -8101765	01,0141115
<b>2</b>	" 194148	Lalay 152
-	" कर्भाराह	on untal
	11 211-5148	martila
	" मिनाल रेस	17410H
	" ZUIE JEE	2241001/12
	11 6777 188	ज्ञामन सिंह
	3 411/140/ 168	-14140170E
	10 1 10 HALL - 10 HALLE	Samou Ball
	11 395 39	5951 301 19.
	ग पाउली १वी	13/13/19/ 5
	v gratt gat	479017 241
	" (304) 59/	2 your
	u 3511 3 4	जा दवा
	165/2-	2 -1-67 34
	भ जाना रसह - THAIR	41

ह0/-ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम गंधायत अलकाना प्रधान-कार्यश्र जिल्ला-बार्यश्रव (उत्तसखण्ड)

## 


उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमीं0 परियोजना के निर्माण में (0.00 हैं0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.450 हैं0, वन पंचायत भूमि 2.925 हैं0, अर्थात कुल 3.375 हैं0 वन भूमि ) का लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील कपकोट ) की दिनांक 18/041/6 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, ( तहसील कपकोट ) की दिनांक 16-09-20की सम्पन्न बैटककी कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं निवम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के एक को जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निन्नानुसार है।

1- श्री ने एस ट्राप्तिया उपजिलाधिकारी अध्यक्ष अध्यक्ष विश्व प्रमाणिय वनीधिकारी अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष विश्व प्रमाणिय वनीधिकारी अध्यक्ष अध्यक

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसमा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत से लखमरा 500 किमीठ परियोजना हेतु 3.375 हैंठ वन मूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिंबत नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशस्ता की गई है।



प्रातेलिपि : जिलाधिकारी,

नागश्वर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

প্রভাবন লোক ক্রমাণ রাখ্যারত ক্রিয়ার ভাক স্বান্ধরীত ক্রমান ভাকরত उप जिलाधिकारी / अदयदा उपखण्ड स्तरीय वैने आधिकार प्राप्ति। तहसील कापदा अपन

## जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी० मोटर मार्ग मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम समाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाि व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही हैं व न ही किसी जनजाित/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।



# जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमीं० गोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हैं0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सीं० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सीं० केबिल व पाईपलाईन विछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

# Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 13.1411.6....at time \$2.00. pm at Bageshwar in which application claiming rights in Garkhet-Lakmara area measuring 3.375 hect for the Construction of Garkhet-Lakmara Motor Road (Length 5.00) in Distt-Bageshwar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 19|4|16

Deputy Corper Sconer Chairman District Level Committe

# Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

3.777		
NO	 *****	 ***

Dated 19/04/16

# To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.375 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Garkhet-Lakmara Motor Road (Length 5.00) in Bageshwer district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.375 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it; ..... Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 1914116

Signature

(Bhupal Singh Manral)

District Collect Seal

(Full name and official seal of the District Collector

#### Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

	Dated 19/04/1
NO	

# To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having
initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (\*FRA\* for short)on the forest land proposed to be diverted for non
forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear
projects, it is certified that 3.375 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division
Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of GarkhetLakmara Motor Road (Length 5.00) in Bageshwer.

It is further certified that :-

- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
   YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of the compensation. Village (s) is enclosed as annexure.......
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities. Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral District Colleges 10


6

Bageshvarita

वन पंचायत <u>सलेकार्य</u> की बैठक कार्यवाही दिनांक 25/01/16 को वन पंचायत कार्यायत की बैठक हुई जिसमें जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लोठनिठविठ को इस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

दिनांक - 25/011/6 स्थान:- -अलाकाना (ल्प्यम्र))



प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत नीमा कापा नीमा कापी
देशमा लिह प्रामित देशमा कि ज्ञाम निर्देश ज्ञाम नीसह
ज्ञाम कि ज्ञाम नीसह
ज्ञाम देशों प्रमा देशी

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमीo मोटर मार्ग में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू—स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोठनिठविठ, कपकोट 19 4/16

# स्वामित्व/अनापितत प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गैरखेत लखमरा 5 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

जनपद बागेश्वर के विधानसम क्षेत्र कपकोट में गैरखेत से लखमरा तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के किमी0 KM1 (4-6 H.m) Km-2 (0-2 Hm) Km3 (2-4 Hm) Kyl (0-2 Hm) Km-S (4-6 H.m) में राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सडक के किनारे खडड़ साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व िभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक :- 9 | ०५ । १ %

राजस्त्र स्प्रिशीशक

तहसीलदार